न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र0क्र0 / जिला-सिवनी

वकील पिता साहब लाल जाति गौंड आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम रमपुरी थाना कान्हीवाडा
तहसील व जिला सिवनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 57/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक अपने निवासी ग्राम रमपुरी में कृषी भूमि खसरा नं. 110, 160/2, 266, 269/2, 270/2 रकबा 1.87 हैक्टर भूमि भूमिस्वामी स्वत्व में धारण करता है । उक्त भूमि के

वकील विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3377 –एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-9-2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 57/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम ग्राम भटेखारी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37, 39/2 रकबा 0.58, 0.28 को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आवेदक एवं केता	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ...का आदि के हस्ताक्षर
	के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुमति देना उचित न मानते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन निरस्त किया है कि आवेदक के पास 5.00 एकड़ भूमि शेष नहीं बच रही है, परंतु आदेश पारित करने के पूर्व उन्होंने प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा किया गया है तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है और ना ही जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विकय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा कय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विकय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विकय के ज़परांत आवेदक के पास ग्राम रमपुरी में 1.87 हैक्टर भूमि शेष बचेगी जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विकय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं,	

-4-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3377 –एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम भटेखारी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. भोमा तह. व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37, 39/2 रकबा 0.58, 0.28 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
	4— भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	